



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03072023-246970
CG-DL-E-03072023-246970

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2753]
No. 2753]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 3, 2023/आषाढ़ 12, 1945
NEW DELHI, MONDAY, JULY 3, 2023/ASHADHA 12, 1945

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2023

का.आ. 2876(अ).—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित परिक्षेत्र की भूमि में से कोयला अभिप्राप्त होने की संभावना है;

और, रेखांक धारक संख्यांक एसईसीएल/बीएसपी /जीएम (एल एण्ड आर)/भूमि/03, तारीख 04 अप्रैल, 2023, जिसमें इस अधिसूचना में आने वाली भूमि के क्षेत्र के ब्यौरे अंतर्विष्ट है और अनुसूची में वर्णित है, का निरीक्षण कलेक्टर, जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, कोयला मंत्रालय, स्कोप मीनार, 5वीं मंजिल, कोर-2, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 के कार्यालय में या साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (भूमि और राजस्व विभाग), सीपत रोड, बिलासपुर-495006 (छत्तीसगढ़) के कार्यालय में या मुख्य महा प्रबंधक (खोज प्रभाग), सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड, गोंदवाना प्लेस, कांके रोड, रांची-834 031, झारखंड के कार्यालय में किया जा सकता है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में से कोयले का पूर्वक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है;

उक्त उल्लिखित अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति -

- (i) उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन की गई किसी कार्रवाई से हुई या होने वाली नुकसानी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन प्रतिकर का दावा कर सकेगा; या
- (ii) उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त अनुज्ञप्तियों प्रभावहीन होने के संबंध में या उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन खनन पट्टे प्रभावहीन होने के लिए प्रतिकर का दावा कर सकेगा और उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (i) से खंड (iv) में विनिर्दिष्ट मदों की बाबत उपगत व्यय को उपदर्शित करने के लिए उपर्युक्त भूमि से संबंधित सभी मानचित्रों, चाटों और अन्य दस्तावेजों को, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर भारसाधक अधिकारी या विभागाध्यक्ष (राजस्व), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सीपत रोड, विलासपुर-495006, छत्तीसगढ़ को परिदत्त कर सकेगा।

अनुसूची

पेलमा ओपनकास्ट परियोजना (15 मिलियन टन प्रतिवर्ष)

रायगढ़ क्षेत्र, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

जिला - रायगढ़, छत्तीसगढ़

[रिखांक धारक संख्यांक एसईसीएल/वीएसपी/जीएम(एल एण्ड आर)/भूमि/03, तारीख 04 अप्रैल, 2023]

आरक्षित वन भूमि :

क्रम संख्या	रेंज का नाम	तहसील	जिला	राज्य	अधिसूचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	टिप्पणी
1.	सिलोत वन रेंज	तमनार	रायगढ़	छत्तीसगढ़	42.000	भाग
कुल क्षेत्र : 42.000 हेक्टेयर (लगभग) या 103.782 एकड़ (लगभग)						

सीमा वर्णन :

रेखा क-ख : यह रेखा ग्राम पेलमा के सीमा पर स्थित बिन्दु 'क' से प्रारंभ होकर दक्षिण - पूर्व दिशा में बढ़ते हुए सिलोत वन रेंज में स्थित बिन्दु 'ख' में जाकर मिलती है।

रेखा ख-ग : यह रेखा सिलोत वन रेंज में स्थित बिन्दु 'ख' से प्रारंभ होकर दक्षिण - पूर्व दिशा में बढ़ते हुए सिलोत वन रेंज में स्थित बिन्दु 'ग' में जाकर मिलती है।

रेखा ग-घ : यह रेखा सिलोत वन रेंज में स्थित बिन्दु 'ग' से प्रारंभ होकर दक्षिण दिशा में बढ़ते हुए सिलोत वन रेंज में स्थित बिन्दु 'घ' में जाकर मिलती है।

रेखा घ-ड. : यह रेखा सिलोत वन रेंज में स्थित बिन्दु 'घ' से प्रारंभ होकर उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए सिलोत वन रेंज में स्थित बिन्दु 'ड.' में जाकर मिलती है।

रेखा ड.-च : यह रेखा सिलोत वन रेंज में स्थित बिन्दु 'ड.' से प्रारंभ होकर दक्षिण-पूर्व दिशा में बढ़ते हुए सिलोत वन रेंज में स्थित बिन्दु 'च' में जाकर मिलती है।

रेखा च-छ : यह रेखा सिलोत वन रेंज में स्थित बिन्दु 'च' से प्रारंभ होकर दक्षिण- पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए सिलोत वन रेंज में स्थित बिन्दु 'छ' में जाकर मिलती है।

छ-ज : यह रेखा सिलोत वन रेंज में स्थित बिन्दु 'छ' से प्रारंभ होकर उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए ग्राम पेलमा की सीमा पर स्थित बिन्दु 'ज' में जाकर मिलती है।

ज-क : यह रेखा ग्राम पेलमा की सीमा पर स्थित बिन्दु 'ज' से प्रारंभ होकर पूर्व दिशा में बढ़ते हुए ग्राम पेलमा की सीमा पर स्थित बिन्दु 'क' में जाकर मिलती है।

[फा. सं. 43015/05/2023-एलएआईआर]

भवानी प्रसाद पति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July, 2023

S.O. 2876(E).—Whereas, it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the land in the locality described in the Schedule annexed hereto;

And, whereas, the plan bearing number SECL/ BSP/GM(L and R)/LAND/ 03, dated the 4th April, 2023 containing the details of the area of land covered by this notification and described in the Schedule may be inspected at the office of the Collector, District Raigarh (Chhattisgarh) or at the office of the Coal Controller, Ministry of Coal, Scope Minar, 5th Floor, Core II, Laxmi Nagar, Delhi – 110092 or at the office of the South Eastern Coalfields Limited (Land and Revenue Department), Seepat Road, Bilaspur -495006, Chhattisgarh or Chief General Manager (Exploration Division), Central Mine Planning and Design Institute Limited, Gondwana Place, Kanke Road, Ranchi-834031, Jharkhand.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal from the land described in the said Schedule;

Any person interested in the land described in the said Schedule may -

- claim compensation under section 6 of the said Act for any damage caused or likely to be caused by any action taken under sub-section (3) of section 4 thereof ; or
- claim compensation under sub-section (1) of section 13 of the said Act in respect of prospecting licenses ceasing to have effect or under sub-section (4) of section 13 of the said Act for mining lease ceasing to have effect and deliver all maps, charts and other documents relating to the aforesaid land to show the expenditure incurred in respect of items specified in clauses (i) to (iv) of sub-section (1) of section 13 of the said Act,

to the Officer-In-Charge or Head of the Department (Revenue), South Eastern Coalfields Limited, Seepat Road, Bilaspur -495006, Chhattisgarh within a period of ninety days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

Pelma Opencast Project (15 Million Tonne Per Year)

Raigarh Area, South Eastern Coalfields Limited

District- Raigarh, Chhattisgarh.

[Plan bearing number SECL/ BSP/GM(L and R)/LAND/ 03, dated the 4th April, 2023]

Reserve Forest Land:

Sr. No.	Name of forest Range	Tahsil	District	State	Area to be notified (in Ha.)	Remark
1.	Silot forest range.	Tamnar	Raigarh	Chhattisgarh	42.000	Part

Total Area - 42.000 hectares (approximately) or 103.782 acres (approximately)

Boundary description:

Line A-B : Line starts from point “A” at boundary of village Pelma and advances in south – east direction and reaches a point “B” in Silot forest range.

Line B-C : Line starts from point “B” in Silot forest range and advances in south - east direction and reaches a point “C” in Silot forest range.

Line C-D : Line starts from point “C” in Silot forest range and advances in south direction and reaches a point “D” in Silot forest range.

Line D-E : Line starts from point “D” in Silot forest range and advances in north - west direction and reaches a point “E” in Silot forest range.

Line E-F : Line starts from point “E” in Silot forest range and advances in south – east direction and reaches a point “F” in Silot forest range.

Line F-G : Line starts from point “F” in Silot forest range and advances in south - west direction and reaches a point “G” in Silot forest range.

Line G-H : Line starts from point “G” in Silot forest range and advances in north - west direction and reaches a point “H” at boundary of village Pelma.

Line H-A : Line starts from point “H” at boundary of village Pelma and advances in east direction and reaches a point “A” at boundary of village Pelma.

[F. No. 43015/05/2023-LAIR]

BHABANI PRASAD PATI , Jt. Secy.